

# एटीए और संयुक्त राष्ट्र टीआईआर कार्नेट पर कार्यशाला

“भारत और विदेश में व्यापार करने के लिए एक आसान उपकरण”

**कानपुर, 26 अप्रैल, 2019:** मर्चेन्ट चैंबर उत्तर प्रदेश एवं फिक्की द्वारा मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें व्यापारिक समुदाय के लिए एटीए और संयुक्त राष्ट्र टीआईआर कार्नेट उपकरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि श्री मनोज गुप्ता, चेयरमैन, एमकेयू लिमिटेड, श्री योगेश अग्रवाल, रिमझिम इस्पात लिमिटेड, उप महासचिव फिक्की श्री निरंकार सक्सेना, वरिष्ठ सलाहकार फिक्की और पूर्व सदस्य, सीमा एवं उत्पाद कर एप्लेट ट्रिब्यूनल (सी.इ.स.टी.ए.टी) श्री पी.एस. प्रुथी, उत्तर प्रदेश कानपुर के मर्चेन्ट चैंबर से श्री सुशील शर्मा एटीए और संयुक्त राष्ट्र टीआईआर कार्नेट पर कार्यशाला में प्रतिभागियों के साथ बातचीत की व एटीए और संयुक्त राष्ट्र टीआईआर कार्नेट के परिचालन पहलुओं पर संदेह स्पष्ट करते हुए कई प्रश्नों का जवाब दिया।

कार्यशाला में उद्योगों के विशेषज्ञों की एवं निर्यात संवर्धन परिषदों, माल भाड़ा अग्रेषण कंपनियों, कस्टम हाउस एजेंटों, निष्पक्ष और प्रदर्शनी आयोजकों की भागीदारी थी। इस कार्यक्रम ने निर्यातकों और व्यावसायिक विशेषज्ञों को अपने पारस्परिक रूप से लाभकारी ज्ञान और अनुभवों को साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। उद्योग जगत ने माल के अस्थायी आयात के संबंधी मुद्दों पर चर्चा की और विचार-विमर्श से सत्र का लाभ प्राप्त किया।

एटीए कारनेट एक अस्थायी प्रवेश दस्तावेज है, जो देश में अस्थायी आयात के लिए शुल्क या बैंक गारंटी के बिना किसी विदेशी देश में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और मंजूरी को सरल करता है। माल के लिए पासपोर्ट की तरह, एटीए कारनेट उन सामानों के लिए अनुमति देता है जिनके लिए इसे किसी भी भागीदार देशों में एक वर्ष तक प्रवेश करने के लिए जारी किया जाता है। एटीए कारनेट धारक सीमा शुल्क घोषणा से बच सकते हैं और देश में अस्थायी आयात के लिए सुरक्षा जमा या गारंटी के से दूर रह सकते हैं। भारत में, फिक्की एटीए कारनेट के लिए एकमात्र राष्ट्रीय गारंटर है।

एटीए कारनेट देश में अस्थायी निर्यात के उपयोग के लिए कई क्षेत्रों सहित व्यापार मेलों, शो, प्रदर्शनियों, बैठकों आदि करता है, जो कि एटीए कारनेट्स को नियंत्रित करने वाले सम्मेलनों के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है। माल को हर देश से फिर से निर्यात किया जाना चाहिए और एक साल के भीतर भारत में फिर से आयात किया जाना चाहिए। वर्तमान में 78 देश एटीए कारनेट के रूप पहचाने जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, मलेशिया, स्पेन, यूएई, यूके और यूएसए शामिल हैं।

फिक्की, भारत में एटीए कारनेट के समान यू. एन. टीआईआर कारनेट प्रणाली के संचालन के लिए भी अधिकृत है। टीआईआर कारनेट एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन दस्तावेज है जो टीआईआर कन्वेंशन द्वारा परिभाषित टीआईआर प्रक्रिया के तहत गंतव्य के सीमा शुल्क कार्यालय से प्रस्थान के सीमा शुल्क कार्यालय तक माल के परिवहन की अनुमति देता है।

यह संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन पर आधारित सार्वभौमिक सीमा-पारगमन प्रणाली है, जो वैश्विक सीमाओं पर वैश्विक स्तर पर लागू वस्तुओं को बिना किसी अतिरिक्त जांच के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थानांतरित करने के लिए है। यह यूरोप (यूएनइसीइ) के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग की देखरेख और अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिवहन (आईआरयू) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। टीआईआर का अर्थ है "ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनक्साउटियर्स"। वर्तमान में भारत सहित 74 अनुबंध दल हैं।

टीआईआर भारतीय व्यापारियों को सड़क, या अन्य अनुबंध वाले दलों के क्षेत्रों में मल्टी-मोडल साधनों द्वारा माल की आवाजाही के लिए तेज, आसान, विश्वसनीय और परेशानी मुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली तक पहुंच बनाने में मदद करेगा। यह भारत के व्यापार के लिए एक वरदान होगा और इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को वैश्विक और क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क के साथ एकीकृत करना होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन (फ्लैज्ब) कॉरिडोर के साथ माल की आवाजाही के लिए एक साधन हो सकता है, जिसे भारत रूस के साथ विकसित कर रहा है।

श्री योगेश दुबे, श्रीमती एस.विजयालक्छमी, श्री अमित गुप्ता, श्री महेंद्र नाथ मोदी, सचिव,  
मर्चेंट्स चैम्बर, आदि उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश